

# S.K.N. AGRI-BUSINESS INCUBATOR (S-ABI), JOBNER

## SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURE UNIVERSITY

Dist. Jaipur, PIN 303329

No. F. ()/Store/Tender/RKVY/S-ABI/2024-25/77

Date: 09.10.2024

### NOTICE INVITING LIMITED TENDER

Sealed quotations are invited from the reputed Agency vehicle/owner to hire vehicle for Due diligence and to attend the meeting purpose. The quotation will be accepted up to 16/10/2024 (11.00AM) and will be opened on

the same day at 11.30 PM by the tender opening committee of the SKNCOA. Jobner.

क.सं.	at 11.30 PM by the tender opening committee of the SKINCOA, उ	दर रूपये प्रति किलोमीटर GST	
		सहित	
		गाड़ी का प्रकार E	AC
1.	श्री कर्ण नरेन्द्र एग्री बिजनस इनक्यूबेटर, जोबनेर के स्टाफ को डयू डिलिजेंस व	1. स्विफ्ट डिजायर	
	मीटिंग्स पर ले जाने हेतू एक वर्ष की अवधि या अनुमानित राशी रू 1.10 लाख के पूर्ण		
	होने तक जो भी पहले हो, के लिये किया जाना है। अतः टैक्सी वाहन किराये पर		
	प्रति किलो मीटर दर पर उपलब्ध करवाने बाबत्।		

#### आवश्यक शर्ते:--

- 1. वाहन मालिक को निविदा की 2 % धरोहर राशि के रूप में PRINCIPAL INVESTIGATOR SKN AGRI BUSINESS INCUBATOR JOBNER, के नाम से D.D. जमा करना होगा।
- 2. गाड़ी का मेन्टीनेस एवं चालक परिचालक का खर्च वाहन मालिक द्वारा वहन किया जायेगा।
- 3. गाड़ी का चार्ज प्रति किलो मीटर उपयोग के आधार पर ही दिया जायेगा। गाड़ी नहीं चलने पर किसी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जायेगा। रात्रि ठहराव अलग से देय नहीं होगा।
- 4. गाड़ी के समस्त कागजात पूर्ण होना अनिवार्य है।
- 5. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन टैक्सी नंबर मे होना चाहिए।
- 6. गाड़ी में बैठने हेतु सीटें आरामदायक होनी चाहिए।
- 7. चालक एवं परिचालक का वर्दी में होना अनिवार्य है तथा इनका दैनिक खर्चा वाहन मालिक का होगा।
- 8. गाड़ी को श्री कर्ण नरेन्द्र एग्री बिजनस इनक्यूबेटर, जोबनेर में उपलब्ध करवानी होगी।
- 9. निविदा को निरस्त एवं स्वीकार करने का अधिकार परियोजना प्रभारी श्री कर्ण नरेन्द्र एग्री बिजनस इनक्यूबेटर, जोबनेर के पास होगा।
- 10. मार्ग में गाड़ी खराब होने पर दूसरा वाहन समय पर उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
- 11. चालक को ड्राईविंग लाइसेंस एवं गाड़ी के कागजात (R.C./परिमट इत्यादि) दस्तावेजो की प्रति कोटेशन के समय सलंग्न करनी होगी एवं यात्रा के समय समस्त दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा।
- 12. समस्त टोल टैक्स एवं अन्य वाहन सम्बंधी चार्ज मालिक का होगा।
- 13. वाहन गत पाँच वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- 14. दरें कार्यादेश की दिनांक से एक वर्ष की अविध या अनुमानित राशी रू 1.10 लाख के पूर्ण होने तक जो भी पहले हो के लिए मान्य रहेगी।
- 15. निविदा प्रस्तुत करते समय वाहन मालिक को अधिकृत फर्म के लेटरहेड पर निविदा को जमा करवाना होगा।
- 16. राज्य सरकार का जारी COVID -19 की मार्गदर्शन अनुसार मास्क, सेनाटाइजर, इत्यादि का उपयोग व पालना वाहन मालिक को स्वयं वहन एवं कियान्वित करना होगा।
- 17. सफल निवदा दाता को ₹50 के Notary Attsted Stamp शपथ पत्र पर सलंग्न अनुबंध निविदा की शर्तो के साथ जमा करवाना होगा।



Copy forwarded to the following for information and necessary action: -

- 1. The Comptroller, SKNAU, Jobner.
- 2. The Convener/ Member/Tender Committee, SKNAU, Johner.
- 3. In charge, of CIMCA, SKNAU, Jobner with the request to upload the tender notice on the university website and State Public Procurement Portal.
- 4. Incharge Accounts/Store Incharge, SKNAU, Johner.
- 5. Notice Board-office/Guard File.

Principal Investigator

### अनुबंध-पत्र

यह अनुबंध-पत्र पुत्र श्री	जाति		
निवासी, तहसील, जिला	गानगणान (पश्म		
पक्ष) वाहन मालिक/सेवा प्रदाता एवं श्री कर्ण नरेन्द्र एग्री विजनस इनक्यूबेटर	्राचीन (क्विनीन एक्ट) के बीचा		
संपन्न हुआ है जो दिलांक	र, जावनर (द्विताय पक्ष) के बाप		
संपन्न हुआ है, जो दिनांक से प्रभावी माना जाएगा। यह	अनुबंध श्रा कण नरन्द्र एग्रा विजनस		
इनक्यूबेटर, जोबनेर के कार्यादेश क्रमांक No. F. ()/RKVY/S-ABI/2024-2	5/77 Date:09.10.2024		
के अनुसार किया गया है।			
प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंधित वाहन (मॉडल वर्ष, रजिस्ट्रेशन संख्या .	) को दिवतीय पक्ष के		
वाहन कार्यालय उपयोग के लिए नियुक्त किया है।			
अन्बंध की शर्ते:			
अंगुषय या रात.			
1.वाहन और वाहन चालक से संबंधित सभी आवश्यक द प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र आदि की देख प्रथम पक्ष की होगी।	그는 그는 그는 그를 가는 것이 되었다. 그는 그를 가는 그를 가는 사람들이 되었다. 그들은 그를 가는 것이 되었다. 그들은 그를 가는 것이 없는 것이 없다. 그들은 그를 가는 것이 없는 것이 없다.		
2. विभिन्न स्थानों पर यात्रा के दौरान होने वाले टोल शुल् मालिक का होगा।	क का भुगतान एवं अन्य वाहन सम्वंधी चार्ज		
3. वाहन के प्रारंभिक किलोमीटर और समय की गणना ड्यूटी पॉइंट से शुरू की जाएगी।			
4. प्रथम पक्ष को वाहन उपयोग के लिए बिल और सत्या तक प्रस्तुत करनी होगी।			
5. द्वितीय पक्ष को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार हो अनिवार्य होगा।	गा, जिसके लिए 15 दिन का नोटिस देना		
<ol> <li>भुगतान केवल बैंक के माध्यम से किया जाएगा, जिस् होंगी। कटौती के उपरांत द्वितीय पक्ष द्वारा आयकर प्रम</li> </ol>	किया जाएगा, जिसमें सभी लागू कर और कटौतियां शामिल त द्वारा आयकर प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।		
7. अन्बंध से संबंधित सभी देनदारियों की जिम्मेदारी प्रथम			
8. अनुबंध के किसी भी बिंदु के उल्लंघन की स्थिति में नरेन्द्र एग्री बिजनस इनक्यूबेटर, जोबनेर (द्वितीय पक्ष) का	अंतिम निर्णय परियोजना प्रभारी श्री कर्ण		
गरम्द्र एग्रा विश्वनत इग्ययूष्टर, शावगर (ब्रावसाय ज्या) नग	(I-II)		
हस्ताक्षर:	हस्ताक्षर:		
प्रथम पक्ष:	द्वितीय पक्षः		
( )			
, तिथि:	तिथि:		
그는 씨는 이번 경과를 받은 그래픽 경기 없는 그리아는 그 전 그리를 하셨다. 이 이번 사람들은 사람들은 사람들은 사람들은 사람들이 다른 사람들이 되었다.	하는 그는 전에 하게 하고 있는데 이번 시간을 되는 일을 수가 있는데 없다.		

79m